मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती **धासव राजेरवरी)**ः (क) जी, हां । इसप्रकारकी समाचार रिपोर्टे सरकार की जानकारी में आई हैं।

Wrtittn Answers

(ख) सरकार इस प्रकार के तथाकथित बयानों का समर्थन नहीं करती तथा इनका विरोध करती है। अन्य उपायों के साथ-साथ सरकार की यह नीति है कि कार्य तथा समर्थन की पढ़ित से जिसका उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक आर्थिक दुष्टि से सक्षम ब ा ा, सनर्यन सेवाएं उपलब्ध कराना, जागृति विकास, प्रशासको और नीति निर्माताओं को सचेत करना तथा निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देता है, राधाज में महिलाओं तथा वालिकाओं दोनों की सकारा-त्मक छवि प्रस्त्त करके दृष्टिकोणात्मक परिवर्तन लाए जाएं।

गांवों में विद्यालयों का खोला जाना

3386. थीयती उमिला विश्वनमाई परेल 🖡 क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 4 मार्च, १९९४ को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्त 1644 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपाकरेंगे कि:

- (क) देश के सभी गांवों में एक किलोमीटर कोज के अन्दर विद्यालय न होने के क्या कारण
- (ख) क्या सरकार ने देश के सभी गांवों में शिक्षा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेत्, बर्तमान बजट में कोई प्रावधान किए हैं;
- (ग) यदि हां, तो वर्ष 1994-95 के दौरान कितने गांदी में, विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है तथा उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (च) क्या सरकार ने प्रथम कक्का से सातवीं कक्षातक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षाप्रदान 🦠 हेत् कोई योजना बनाईहै; और

95-M/J(N) 19 RSS-14

(इ) यदि हो, तो उक्त योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

to Questions

भानव संसाधन विकास मंत्रालय) शिक्षा और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) :

(क) से (ग) प्राथमिक क्रिका को सर्वेसुलभ वनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है और वे ही किसी बस्ती अथवा कम से कम एक किलोमीटर दूरी के भीतर स्कूली सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले मानदण्डों के अनुसार जहां कहीं भी जरूरत होती है, प्राथमिक स्कूल अथवा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलने के लिए अपनी वार्षिक आवश्यकताएं तैयार करती हैं तथा राज्य योजनाओं में तत्संबंधी प्रावधान करती हैं। राष्ट्रीय गैंक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा कराए गए पांचवे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण (1986) के अनुसार 94.5 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या के लिए एक किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर प्राथिनक स्कूल की सुविधा है। शेष जनसंख्या के लिए निम्नतिखित कारणों जिनमें छात्रों को अपयन्ति संख्या, अथवा अपर्याप्त भोतिक सुविधाओं, दुर्गम अथवा दुर-दराज आदि जैसे क्षेत्रों में इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध न कराई जा सकी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यह सिफारिश की गई है कि ऐसे क्षेत्रों को अनौपचारिक शिक्षा, स्वैष्ठिक स्कूलों, शिक्षा कमीं ादि जैसी वैकल्पिक योजनाओं के अन्तर्गत शामिल किया जाए।

(घ) और (इ) पूरे देश में सरकार द्वारा संचालित स्कुलों में उच्च प्राथमिक स्तर तक शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई ट्यूशन फीस नहीं लीजाती है।

महिलाओं पर अत्याचार

3387. श्रींमती उमिला चिमन भा**ई पटेल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की क्रपा करेंगे कि :